सत्यमेव जयते
भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING
नौवहन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING
"बीटा बिल्डिंग", 9वीं मंजिल / "BETA BUILDING", 9th FLOOR
आई-थिंक टेक्नो कैम्पस / I-THINK TECHNO CAMPUS
कांजुर गॉव रोड / KANJUR VILLAGE ROAD
कांजुर मार्ग (ईस्ट) / KANJUR MARG (EAST)
मुंबई - 400 042 / MUMBAI – 400 042

टेलीफोन: 022 – 25752040/1/2/3
फैक्स: 022 – 25752029 / 35
ई-मेल: dgship-dgs@nic.in
वेब: www.dgshipping.gov.in

Tele: 022 - 25752040/1/2/3
Fax: 022 – 25752029 / 35
E-mail: dgship-dgs@nic.in
Web: www.dgshipping.gov.in

संख्या एस/विविध (20)/2013

दिनांक 18 मार्च 2014

वर्ष 2014 का नौमनि आदेश संख्या 2

भारतीय समुद्र में चलते समय भारतीय एफपीएसओ/ एफएसयू तथा गैर भारतीय एफपीएसओ/ एफएसयू के लिए रक्षा, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण प्रावधनों की प्रयोज्यता हेतु अधिसूचना ।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश और दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ते समुद्रीय क्षेत्रों में से एक है अपतटीय तेल और गैस उद्योग;

इस बात पर विचार करते हुए कि लंबे समय तक किसी खास जगह पर लगंर डाले एफपीएसओ/एफ एसयू को चलाए जाने की विशेष प्रकृति के कारण आईएमओ कन्वेन्शनों के कुछ प्रावधान इन पर पूरी तरह से उस तरह से लागू नहीं होते जिस तरह से समुद्री यात्राएं करने वाले पोतों पर लागू होते हैं;

इस बात को मान्यता देते हुए कि एफपीएसओ/एफएसयू के प्रचालनों की विशेष प्रकृति के व्यापारिक पोतों से भिन्न होती है इसलिए सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, सर्वेक्षण तथा प्रमाणन के लिए अलग से मार्गदर्शी सिद्धांतो की आवश्कता है;

इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि आईएमओ द्वारा 25 मई 2010 को एमएससी–एमईपी सी/2/परिपत्र/9 "एफपीएसओ तथा एफएसयू की रक्षा, सुरक्षा तथा पर्यावरण संरक्षण की प्रयोज्यता हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत" पर जारी किया गया है।

आगे और उन रीतियों को ध्यान में रखते हुए कि एफपीएसओ तथा एफएसयू के प्रचालन के संबंध में अन्य समुद्रीय प्रशासनों द्वारा अपनाई जाती है;

अब नौवहन महानिदेशक दिनांक 17/12/1960 के सां.आ. 3144 के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 456 के प्रावधानों के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश जारी करते हैं: -

1. एफपीएसओ / एफएसयू (या यूनिट)

1.1 फ्लोटिंग प्रोडक्शन, स्टोरेज तथा ऑफलोडिंग यूनिटों (एफपीएसओ) विशेषीकृत जलयान होते हैं जो कि कच्चे तेल के उत्पादन, भंडारण तथा अंतरण में प्रयोग किए जाते हैं, इनमें अपतटीय प्रचालन शामिल होते हैं फ्लोंटिग स्टोरेज यूनिट (एफएसयू) का उपयोग अपतटीय स्थानों पर उत्पादित तेल के भंडारण के लिए किया जाता है इनमें निम्नोक्त शामिल हैं तथा और इन्हें इस परिपत्र में समग्र रूप से यूनिट कहा गया है।

ए) एफपीएसओ (फ्लोटिंग, प्रोडक्शन, स्टोरेज तथा ऑफ लोडिंग यूनिटें)

बी) एफएसओ (फ्लोटिंग, स्टोरेज तथा ऑफ लोडिंग यूनिटें)

सी) एफपीयू (फ्लोटिंग प्रोडेक्शन यूनिटें)

डी) एफएसयू (फ्लोटिंग स्टोरेज यूनिटें)

ई) उपर्युक्त का कोई संयोजन या इन का कोई रूपांतरण

1.2 जो यूनिट स्वयं प्रणोदित न होती हो वह स्वतंत्र रूप से नौचालन हेतु प्रमाणित नहीं है।

1.3 स्वयं प्रणोदित यूनिट स्वतंत्र रूप से नौचालित होने के लिए प्रमाणित है।

2. प्रयोजनीयता:

2.1 यह आदेश उन यूनिटों के लिए प्रयोजनीय है जो भारतीय ध्वज के अंतर्गत आती हैं, तथा उन गैर भारतीय यूनिटों पर लागू होता है जिस समय वे भारतीय समुद्र क्षेत्र के भीतर प्रचालित हो रही हों (जिसमें इसकी समुद्र सीमा के क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र शामिल हैं)

ए) जिन यूनिटों को हटाया नहीं जा सकता जिन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वे अपने स्थान से बद्ध रहेंगी तथा इनमें ऐसे कोई मशीनी साधन नहीं होंगे कि इन्हे चलाकर कहीं और ले जाया जा सकता हो) या

बी) जिन यूनिटों को स्थान पर चलाए जाते समय हटाया जा सकता है (यानी जिन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि या तो अपने आप ही प्रणोदित हों सकती हो या प्रमोदित न हो सकती हों)

3. एफपीएसओ/ एफएसयू/ एफएसओ या यूनिटें/ की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था:

3.1 यूनिट ध्वज धारी तथा वर्गीकृत होगी।

3.2 यूनिटों के अभीष्ट प्रयोजन तथा सेवा के लिए श्रेणी में रखा जाएगा तथा इसके लिए समुचित श्रेणी अंकन किया जाएगा, जो कि भारतीय प्रशासन के किसी मान्यता प्राप्त संगठनों (आरओ) में से एक द्वारा किया जायेगा।

3.3 यूनिटें यथा प्रयोजनीय रूप से, निम्नलिखित आईएमओ संकल्प/परिपत्रों का पालन करेंगी:

ए) दिनांक 24 मार्च 2006 को एमईपीसी 142 (54) द्वारा यथा संशोधित रूप में "फ्लोटिंग प्रोडक्शन, स्टोरेज तथा ऑफलोडिंग फैसिलिटी (एफपीएसओ) तथा फ्लोटिंग स्टोरेज यूनिटों (एफएसयू) के लिए परिशोधित मारपोल अनुलग्नक I को लागू किए जाने हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त" पर 22 जुलाई 2005 अंगीकृत संकल्प एमईपीसी 139 (53).

बी) "एफपीएसओ तथा एफएसयू के लिए रक्षा, सुरक्षा तथा पर्यावरण संरक्षण प्रावधानों की प्रयोजनीयता हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत" पर दिनांक 25 मार्च 2010 को जारी एमएससी-एमईपीसी 2/ परिपत्र 9.

3.4 चूंकि इन यूनिटों का प्रमाणन जगह विशिष्ट का होता है, अनुमत स्थान पर प्रचालन के लिए प्रमाणपन तथा अनुपालन अपेक्षाओं में यह शामिल होगा परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं होगा, ध्वज से निम्नलिखित प्रलेख तथा/या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आरओ।

ए) अन्तरराष्ट्रीय टनभार प्रमाणपत्र

बी) अन्तरराष्ट्रीय भार रेखा प्रमाणपत्र

सी) सभी स्व-प्रणोदित यूनिटों के लिए यथा संशोधित, सोलास 1974/88 के अंतर्गत प्रमाणन (यानी सीएसएससीसी, सीएसएसईसी,सीएसएसआरसी, आईएसएम, आईएसपीएस आदि)

डी) स्व-प्रणोदित यूनिटों के अलावा एमओडीयू कोड 1989 (या एमओडीयूकोड 2009, यथा प्रयोजनीय) के अंतर्गत प्रमाणन।

ई) यथा संशोधित, मारपोल 73/78 के प्रयोजनीय अनुलग्नकों के अन्तर्गत प्रमाणन।

एफ) समुद्रीय सचल रेडियो स्टेशन लाइसेंस।

जी) अभीष्ट प्रयोग के लिए समुचित श्रेणी का प्रमाणन।

एच) ध्वज द्वारा जारी किए गए सुरक्षाप्रद जनसंयोजन प्रलेख में दिए अनुसार प्रचालन करने वाले कर्मियों के अलावा, (विस्तृत जानकारी के लिए वापोप सूचना संख्या 22/2013 दिनांक 5 सितंबर 2013 देखें) 12 से अधिक व्यक्तियों को ले जाने वाली स्व-प्रणोदित यूनिटों के लिए एसपीएस कोड, 1983 (या 2008, यथा प्रयोजनीय) के अंर्तगत प्रमाणपन।

आई) एमओडीयू कोड 1989 के अंतर्गत प्रमाणन (या एमओडीयू कोड, यथा प्रयोजनीय) (या एसपीएस कोड, 2008 यथा प्रयोजनीय), जो यूनिट स्वयं प्रणोदित न होती हो तथा 12 से अधिक व्यक्तियों को ले जाती हो, जो कि प्रचालन कर्मीदल के अलावा हों जैसा कि सुरक्षाप्रद जनसंयोजन प्रलेख में दिया गया है जिसे ध्वज द्वारा जारी किया गया है (अधिक जानकारी के लिए वापोप सूचना संख्या 22/2013 दिनांक 5 सितंबर 2013 देखें)

जे) यूनिटें यथा प्रयोजनीय रूप से सोलास के अध्याय XI-2 और आईएसपी एस संहिता का पालन करेंगी।

के) न्यूनतम सुरक्षाप्रद जन संयोजन प्रलेख

एल) एमएलसी 2006/ कर्मीदल आवास नियम का अनुपालना

एम) परिसंपत्ति बीमा तथा ध्वंसावशेष को हटाने सहित तृतीय पक्ष दायित्त्व का कवर

एन) वित्तीय उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र

ओ) यथा प्रयोजनीय रूप से सिविल, उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र

3.5 हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ सर्वे एण्ड सर्टीफिकेशन (एचएसएससी) के अनुसरण में यूनिट का सर्वेक्षण तथा प्रमाणन किया जाएगा।

3.6 पोतस्थ औद्योगिक प्रणालियों के नए तरह के डिज़ाइन, प्रचालन स्थितियों की प्रकृति तथा/ या जटिलता तथा सामान्य रूप से सार्वजनिक सुरक्षा के कारण अतिरिक्त अपेक्षाएं जब आवश्यक हों तब तटवर्ती राज्य/निदेशालय लगा सकता है, जो कि आईएमओ संलेखों या एमओडीयू संहिता में नहीं आते।

3.7 युनिट में जहां तक लागू हो, संदूषण रोधी प्रणालियों के कन्वेंशन (ए.एफ.एस), बैलास्ट वॉटर मैनेजमेन्ट कन्वेंशन (वी.डबल्यू.एफ) इत्यादि के अंतर्गत अपेक्षाओं का अनुपालन होगा।

4. यूनिट के बाहरी पेंदे का सर्वेक्षण : -

4.1 सालोस अपेक्षाओं के अनुसार यूनिट के दो डॉकिंग सर्वेक्षण करवाए जाएंगे यानी पांच वर्ष की अवधि में दो डॉकिग होंगे, जिन डॉकिंगों के बीच का अंतराल 36 माह से अधिक नहीं होगा। फिर भी यूनिट प्रचालन की विशेष प्रकृति के कारण जिनके पास विस्तारित ड्राई डॉकिंग के लिए मान्य श्रेणी अंकन होगा, उन युनिटों का डॉकिंग के स्थान पर समुद्र में बाहरी पेंदे का सर्वेक्षण स्वीकार्य होगा, बशर्ते पांच वर्ष की अवधि में समुद्र में दो संतोषजनक सर्वेक्षण किए गए हो, जिनके बीच का अंतराल 36 माह से अधिक न हो।

4.2 ऐसे अंतर्जलीय सर्वेक्षणों की सीमा व विस्तार एकक के निर्माण/ परिर्वतन की डिज़ाईन अवस्था में वर्गीकरण सोसायटी द्वारा अनुमोदित योजनाओं/ प्रलेखों के अनुसरण में होगा। श्रेणी प्रमाणन से संबंधित लेखन में अधिकतम अवधि स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट होगी, जिस तक डॉकिंग की बजाय जलयान को अंतर्जलीय सर्वेक्षणों को करवाने के लिए डिज़ाईन किया गया है। विस्तारित डॉकिंग सर्वेक्षण के स्थान पर अंतर्जलीय सर्वेक्षण की अनुमति देने के लिए शर्तें अनुलग्न I पर दी गई है।

4.3 पोतस्थ सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली में एकक के पेटे और अंतर्जलीय फिटिंगो/उपकरण की स्थिति का नियमित रूप से अनुवीक्षण तथा रिपोर्टिंग करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं निहित होंगी। ड्राई डॉकिंग को बजाय अंतर्जलीय सर्वेक्षण करवाने के लिए आरओ द्वारा विधिवत अनुमोदित रूप में स्वामी/प्रचालक निरीक्षणों को एक स्कीम स्थापित करेगा और यह स्कीम के अनुपालन के अनुसार होगा जो आरओ द्वारा सत्यापित होगा।

4.4 अंतर्जलीय पेटा निरीक्षण के संतोषजनक रूप से पूरा हो जाने के बाद आरओ से अनुमोदित रिकॉर्ड स्वामी/प्रचालक अपने पास रखेगा जिन पर यदि कोई मान्यता और संस्तुतियां होगी तो वे स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट होंगी। अंतर्जलीय सर्वेक्षण के दौरान यदि किसी विपरीत स्थिति का पता चलता है, जिससे किसी नुकसान या ऐसी खराबी की बात सामने आती है जिस पर जल्द ध्यान दिए जाने की आवश्यकता हो तो सर्वेक्षण/आरओ से अपेक्षा होगी कि एकक को तुरंत ड्राई डॉक किया जाए ताकि और अधिक विस्तृत सर्वेक्षण/आवश्यक त्रुटि सुधार किया जा सके।

4.5 एक अपने अनुमत स्थान से किसी कार्गो को नहीं ले जाएगा। अपनी शक्ति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की स्थिति में एकक सोलास, मारपोल इत्यादि जैसे आई.एम.ओ कन्वेंशनों के संगत प्रावधानों के अनुसार समुद्री यात्रा करने के लिए प्रमाणन अपेक्षाओं का पालन करेगा तथा एकक के पास सभी संगत व्यापारिक प्रमाणपत्र यथा संगत रूप से होंगे।

5. सुरक्षा प्रबंधन:

5.1 दि. 25 मई, 2010 के परिपत्र एम.एस.सी – एम.ई.पी.सी. 2/ परिपत्र के अनुलग्नक परिच्छेद 8 के अनुसरण में आई.एस.एम संहिता और अन्य उद्योग संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए एकक पर अनुमोदित सुरक्षा प्रबंधन होगा।

5.2 स्व-प्रणोदित एकक आईएसएम संहिता अपेक्षाओं का पालन करेंगे।

6. जन संयोजन:

6.1 प्रशासन द्वारा जारी किए गए सुरक्षाप्रद जन-संयोजन प्रलेख के अनुसार एकक पर जनसंयोजन किया जाएगा।

7. रक्षा:

7.1 एकक सोलास के अध्याय XI-2 और पूरी आई.एस.पी. एस संहिता का पालन करेगा ताकि एकक और अन्य पोतों के बीत अंर्तसंबंध हो सके।

8. आपातकालीन प्रतिकार:

8.1 एकक आपातकालीन प्रतिकार प्रणाली प्रक्रिया को विकसित करेगा और इसे रखेगा साथ ही एक विस्तृत जोखिम विश्लेषण बनाकर रखा जाएगा(जैसे एच.ए.जेड.ओ.पी, एच.ए.जेड,आईडी, एफएमईए आदि) संगत प्रधिकारी द्वारा जिसकी विधिवत विधिक्षित होगा, ताकि मारपोल कन्वेंशन, आई.एस.एम संहिता तथा अन्य समुचित उद्योग संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए समुद्री तथा उत्पादन प्रणालियों और प्रचालनों से जुड़े सुरक्षा और प्रदूषण जोखिम का समाधान किया जा सके। आपातस्थिति में एकक अपनी तयशुदा जगह से बाहर आ सकता है, बशर्ते सुरक्षा हेतु इस तरह से आना अनिवार्य हो और यह प्रलेखित आपात प्रतिकार प्रणाली का हिस्सा हो।

9. मारपोल का आवेदन:

एकक मारपोल अनुलग्नक I, IV, V (आई.एम.ओ संकल्प एम.ई.पी.सी. 219 (63)-मारपोल अनुलग्नक V के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत) और IV (अध्याय 4 को छोड़कर) अपेक्षाओं तथा संगत प्रमाणपत्रों को रखते हुए उनका अनुपालन करेगा।

(गौतम चटर्जी)
नौवहन महानिदेशक